भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 784

गुरूवार, 5 फरवरी, 2026/16 माघ, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

असम में पर्यटन का विकास

784 श्री अजीत कुमार भुयानः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने असम के हिस्सों को पर्यटकों के अनुकूल बनाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को असम सरकार से "स्वदेश दर्शन योजना" के अंतर्गत राज्य के पर्यटन स्थलों के विकास हेतु कोई व्यापक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा आवश्यक निधि के आवंटन के लिए अब तक की गई कार्रवाई क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने राज्य में पर्यटन परियोजनाओं के लिए जनता की लंबे समय से प्रतीक्षित मांग को लागू करने के लिए कदम उठाए हैं/उठाने का प्रस्ताव है, क्योंकि राज्य में घरेलू और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की अपार संभावनाएँ हैं; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (च): पर्यटन स्थलों और उत्पादों का विकास मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है। हालांकि, पर्यटन मंत्रालय अपनी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं, जैसे - 'स्वदेश दर्शन (एसडी)', 'स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0)', 'चुनौती आधारित गंतव्य विकास (सीबीडीडी)' - (एसडी 2.0 की एक उप-योजना) और 'तीर्थस्थल कायाकल्प एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)' के माध्यम से राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) की प्रस्तुति, निधियों की उपलब्धता, पारस्परिक प्राथमिकता आदि के अध्यधीन वित्तीय सहायता प्रदान करके पर्यटन अवसंरचना विकास के प्रयासों को संपूरित करता है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने 'राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता (एसएएससीआई) - वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटक केंद्रों का विकास' नामक अपनी पहल के तहत

भी देश में प्रतिष्ठित पर्यटक केंद्रों को व्यापक रूप से विकसित करने और वैश्विक स्तर पर उनकी ब्रांडिंग तथा विपणन करने के प्राथमिक उद्देश्य से परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

जबकि, राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से लागू योजनाओं के तहत पर्यटन संबंधी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता हेतु प्रस्तावों की प्राप्ति एक सतत प्रक्रिया है, भारत सरकार ने असम राज्य में एसडी, एसडी 2.0, सीबीडीडी, एसएएससीआई और प्रशाद नामक योजनाओं के तहत परियोजनाओं को पहले ही मंजूरी दे दी है, जिनका विवरण अनुबंध में दिया गया है।

*****

अनुबंध

श्री अजीत कुमार भुयान द्वारा असम में पर्यटन के विकास के संबंध में दिनांक 05.02.2026 को पूछे जाने वाले राज्य सभा के लिखित प्रश्न संख्या 784 के भाग (क) से (च) के उत्तर में **विवरण**

असम राज्य में स्वदेश दर्शन (एसडी), स्वदेश दर्शन 2.0, सीबीडीडी, एसएएससीआई और प्रशाद योजनाओं के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रु. में)

योजना/उप-योजना	क्र. सं.	परियोजना का नाम/अनुभव	परिपथ/ गंतव्य	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत राशि
स्वदेश दर्शन (एसडी)	1	मानस - प्रोबितोरा - नामेरी - काजीरंगा - डिब्रू - सैखोवा का विकास	वन्यजीव परिपथ	2015-16	94.68
	2.	तेजपुर - माजुली - शिवसागर का विकास	विरासत परिपथ	2016-17	90.98
एसडी 2.0	3.	कोकराझार वेटलैंड अनुभव	कोकराझार	2023-24	26.68
	4.	रीइमेंजिनिंग सिन्नामारा टी एस्टेट	जोरहाट	2023-24	23.88
सीबीडीडी	5.	पाणिधिंग पक्षी अभयारण्य, (इको-पर्यटन और अमृत धरोहर श्रेणी के तहत)	शिवसागर	2024-25	9.99
एसएएससीआई	6.	गुवाहाटी में असम राज्य चिड़ियाघर सह वनस्पति उद्यान	गुवाहाटी	2024-25	97.12
	7.	शिवसागर में रंग घर का सौंदर्यीकरण	शिवसागर	2024-25	94.76
प्रशाद	8.	गुवाहाटी में और उसके आसपास कामाख्या मंदिर और तीर्थ स्थलों का विकास	गुवाहाटी	2015-16	29.80

*****